The second of the second of the second of the second of

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ANGOLA ON

EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

Hereafter referred to singularly as the "Contracting Party" and collectively as the "Contracting Parties"

CONSIDERING the interest of both countries to strengthen their friendly relations, and

DESIRING to facilitate the entry of the citizens of the Republic of India and the citizens of the Republic of Angola

Who are holders of diplomatic or official/service passports into their respective countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Visa Exemption

- 1. A citizen of either Contracting Party, who is in possession of a valid diplomatic or official/service passport shall be permitted to enter into, exit from and transit through the territory of the other Contracting Party through their respective international points of entry/exit without visas.
- 2. A citizen of either Contracting Party, holding the said passport shall be allowed to stay in the territory of the other Contracting Party for a maximum period of 90 days in any period of 180 days, without a visa.

ARTICLE 2

Visas for Assignments

1. A Citizen of either Contracting Party, who is assigned as a member of the diplomatic or consular staff in Missions/Posts or as representative of his/her country in an international organization located in the territory of the other Contracting Party and is in possession of a valid diplomatic or official/service passport, shall be

required to obtain a visa prior to entry into the territory of the other Contracting Party.

- 2. The holders of diplomatic and official/service passports of either Contracting Party who are employed by an international organization, body, agency or any other such entity, would be required to obtain visa prior to their entry into the territory of the other Contracting Party for official or private visits.
- 3. The conditions enumerated in paragraph 1 of this Article shall also apply to the spouse of a member of the diplomatic Mission or Consulate or representative in international organization, their children and their dependent parents.

ARTICLE 3

Refusal of Entry & Loss of Passport

- 1. Each Contracting Party reserves the right to refuse the entry into, or shorten the stay in its territory, of any citizen of the other Contracting Party, whom it may consider undesirable.
- 2. If a citizen of one Contracting Party loses his/her passport in the territory of the other Contracting Party, he/she shall inform the authorities concerned of the host country for appropriate action. The diplomatic Mission or Consulate concerned will issue a new passport or travel document to its citizen and inform the concerned authorities of the host Government.

ARTICLE 4

Applicability of Local/National Laws

- 1. Citizens of either Contracting Party, being holders of diplomatic or official/service passports shall abide by the laws and regulations of the other Contracting Party while crossing its frontier and throughout the duration of their stay in its territory.
- 2. Nothing in the Agreement shall be construed as affecting the rights and obligations set out in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April, 1963.

ARTICLE 5

Passports Validity

The duration of diplomatic and official/service passports of nationals of either Party shall be valid for at least 6 (Six) months on the date of entry into the territory of the country of the other party.

ARTICLE 6

Travel Documents

- 1. For the purposes of this Agreement, each Contracting Party shall transmit to the other, through diplomatic channels, specimens of its respective passports, including a detailed description of such documents currently used, at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.
- 2 Each Contracting Party shall also transmit to the other through diplomatic channels, specimen of its new or modified passports, including a detailed description of such documents, at least thirty (30) days before they are brought into force.

ARTICLE 7

Suspension

Each Contracting Party reserves the right for reasons of security, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement, which shall take effect immediately after notification, has been given to the other Contracting Party through diplomatic channels. The suspension shall not affect the rights of nationals who have already entered the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 8

Revision and Amendments

Either Contracting Party may request in writing, through diplomatic channels, a revision or amendment of the whole or part of this Agreement. Any revision or amendment, which has been agreed to by the Contracting Parties, shall come into effect on a date to be mutually agreed upon and shall accordingly form part of this Agreement.

ARTICLE 9

Dispute Settlement

Any difference or dispute arising out of the implementation of the provisions of the Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties without reference to any third party or an international tribunal.

ANTICE TO

Entry Into Force, Duration And Termination

This Agreement shall enter into force on a date to be mutually agreed upon by the Contracting Parties, which shall be notified through the exchange of Diplomatic Notes. This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party by a written notification through diplomatic channels, which shall enter into force ninety (90) days after the date of such notification. The termination shall not affect the rights of nationals who have already entered the territory of the other Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE on <u>0</u> day of <u>PPIEmbex</u> 2020 in two (2) originals; in Portuguese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(Vikas Swarup) Secretary, Ministry of External Affairs FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

Ć-

(Esmeraida Mendonça) Secretary of State for External Affairs

भारत गणराज्य और अंगोला गणराज्य के बीच जनस्कि भीर साधिकारिक के स्ट्रांट

राजनयिक और आधिकारिक/सेवाकासीन पासपोर्टघारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट के संबंध में करार

भारत गणराज्य की सरकार और अंगोला गणराज्य की सरकार

जिन्हें इसके बाद सामृहिक रूप से "दोनों संविदाकारी पक्षकार" और एकल रूप से "संविदाकारी पक्षकार" कहा गया है,

अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के हित पर विचार करते हुए और

भारत गणराज्य और अंगोला गणराज्य के राजनयिक अथवा आधिकारिक/ सेवाकालीन पासपोर्टधारक नामरिकों के अंगोला और भारत के भू-क्षेत्र में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से,

निम्मानुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-। वीजा अपेक्षाओं से छट

- किसी संविदाकारी पक्षकार के राजनियक अथवा आधिकारिक/ सेवाकालीन पासपोर्टधारक नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवेश/निकासी स्थानों से बिना वीजा के प्रवेश करने, निकलने और पारगमन करने की अनुमति होगी।
- 2. किसी भी संविदाकारी पक्षकार के उक्त पासपोर्ट धारक नागरिक को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में बिना वीजा के एक सौ असुसी (180) दिनों की किसी भी अविधि में अधिकतम वब्बे (90) दिनों तक प्रवास की अनुमति होगी।

<u>अनुच्छेद -2</u> विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए वीजा

- 1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार के किसी भी लागरिक, जिसे मिशनों/केंद्रों में राजनियक या कोंसुली स्टाफ के सदस्य के रूप में या दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में स्थित किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर कोई कार्य सौंपा गया हो, और जिसके पास वैध राजनियक अथवा आधिकारिक / सेवाकालीन पासपोर्ट हो, को दूसरे संविद्याकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश से पहले वीजा प्राप्त करना होगा।
- 2. दोनों में से किसी भी संविद्याकार पक्षकार के राजनयिक अथवा आधिकारिक / सेवाकालीन पासपोर्टधारकों, जिन्हें किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन, निकाय, एजेंसी अथवा इस प्रकार के किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित किया गया हो, को दूसरे संविद्याकारी पक्षकार के भूक्षेत्र में आधिकारिक अथवा निजी यात्राओं के लिए प्रवेश करने से पूर्व वीजा प्राप्त करना होगा।
- 3. इस अनुच्छेद के पैरा-। में उल्लिखित शर्त राजनियक मिशन अथवा कांसुलावास के सदस्य अथवा किसी अलरराष्ट्रीय संगठन के प्रतिमिधि के पति/पत्नी, उनके बच्चों तथा आश्रित माता-पिता पर भी लागू होंगी।

<u>अनुच्छेद-3</u> प्रवेश देने से इन्कार और पासपोर्ट खो जाना

- प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के पास दूसरे संविदाकारी पक्षकार के ऐसे नागरिक को प्रवेश देने से इंकार करने अथवा अपने भू-क्षेत्र में उसके प्रवास की अवधि कम करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे वह अवांछित व्यक्ति मानता हो।
- 2. यदि किसी संविद्यांकारी पक्षकार का कोई नागरिक दूसरे संविद्यांकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में अपना पासपोर्ट खो देता है, तो वह यथोचित कार्रवाई के लिए मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा। संबंधित राजनियक मिशन अथवा कॉसुलावास अपने मागरिक को एक नया पासपोर्ट अथवा बात्रा दस्तावेज जारी करेगा और मेजबान सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद-4 स्थानीय/राष्ट्रीय कानूनों की अनुप्रयोज्यता

- दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार के राजनियक अथवा आधिकारिक / सेवाकालीन पासपोर्टधारक, दूसरे संविदाकारी पक्षकार की सीमा पार करते समय अथवा उसके भू-क्षेत्र में प्रवास की संपूर्ण अविध के दौरान उस राष्ट्र के कानूनों एवं विनियमों का पालन करेंगे।
- 2. इस करार में उल्लिखित कोई भी शर्त को राजनयिक संबंध विषयक 18 अप्रैल, 1961 के वियम अभिसमय अथवा कोंसुली संबंध विषयक 24 अप्रैल, 1963 के वियम अभिसमय में उल्लिखित अधिकारों एवं दायित्वों को प्रशावित करने वाली शर्त नहीं समझा जाएगा।

<u>अनुच्छेद-५</u> पासपोटौं की वैधता

दोनों में से किसी भी संविदाकरी पक्षकार के नागरिकों के राजनयिक और आधिकारिक/सेवाकालीन पासपोटों की अवधि दूसरे संविदाकरी पक्षकार देश के भू-क्षेत्र में प्रवेश की तारीख से कम से कम 6 (छह) महीने तक वैध होगी।

<u>अनुच्छेद-६</u> यात्रा दस्तानेज

- इस करार के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविद्याकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार के लागू होने के कम से कम तीस (30) दिम पूर्व राजनियक माध्यमों से वर्तमान में प्रयुक्त ऐसे दस्तावेजों के विस्तृत ब्यौरे सहित अपने पासपोटी की ममूना प्रतियां प्रेषित करेगा।
- 2. प्रत्येक संविद्याकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनयिक माध्यम से ऐसे दस्तावेजों के विस्तृत ब्यौरे सहित अपने नए अथवा संशोधित पासपोटी की नमूना प्रतियां उन्हें लागू किए जाने से कम से कम तीस (30) दिन पहले प्रेषित करेगा।

अनुच्छेद-७

निलंबन

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को सुरक्षा, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर इस करार के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से पूर्णतः अथवा अंशतः निलंबित करने का अधिकार है और यह राजनियक माध्यम से दूसरे संविदाकारी पक्षकार को अधिस्चित कर दिए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। यह निलंबन उन नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं।

<u>अनुच्छेद-४</u> परिशोधन और संशोधन

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस करार में कोई भी पूर्णतः अथवा अंशतः परिशोधन या संशोधन करने के बाबत राजनयिक माध्यमों से लिखित में अनुरोध कर सकता है। ऐसा कोई भी परिशोधन या संशोधन जिस पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति हो गई हो, परस्पर सम्मत तारीख से लागू होगा तथा तदनुसार इस करार का अंग होगा।

अनुच्छेद-9 विवादों का निपटान

इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद अथवा विवाद का निपटारा किसी तीसरे पक्ष अथवा अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को भेजे बिना संविदाकारी पक्षकारों के बीच सौहाईपूर्ण ढम से परामर्श अथवा बातचीत के जरिए किया जाएगा।

<u>अनुच्छेद-10</u> प्रवर्तन, समयावधि तथा निरसन

यह करार इस पर दोनों संविदाकारी पक्षकारों के बीच परस्पर सम्मत तारीख से लागू होगा, जो राजनियक नोंट्स के आदान-प्रदान द्वारा अधिसूचित की जाएगी। यह करार अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा और कोई भी संविदाकारी पक्षकार राजनियक माध्यम से लिखित अधिसूचना जारी करके इसे समाप्त कर सकता है और यह निरसन ऐसी अधिसूचना जारी करने के नब्बे (90) दिनों के बाद लागू हो जाएगी। इस निरसन से उन नागरिकों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जो दूसरे संविदाकारी प्रक्षकार के भू-क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2020 के माह पितासीर के <u>०</u>7 वें दिन पुर्तमारी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

निकास स्वहर्ष

विकास स्वरूप सचिव, विदेश मंत्रालय अंगोला गणराज्य की सरकार की ओर से

एस्मेराल्डा मेडोन्सा विदेश राज्य सचिव